न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 52 / 2017 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम)
दायर दिनांक 29 / 12 / 2017
निर्णय दिनांक 09 / 08 / 2019

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री श्रीराम मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह (मालिक एवं विक्रेता)
   मैसर्स आशापुरा कोल्ड ड्रिंक्स एजेन्सी गांव धोइन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री रमेश सिंह रावत (नोमिनी)
   मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेरेज प्रा.लि. 1552 / 1 चिकलवास, बड़गांव, उदयपुर–313011
3. नोमिनी जरिये फर्म
   मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजज प्रा.लि. 1552 / 1 चिकलवास, बड़गांव, उदयपुर–313011
4. श्री विजयकुमार शर्मा (नोमिनी)
   मैसर्स एनरिक एग्रो फूड प्रोडक्टस प्रा.लि. प्लॉट 1 ए, सेक्टर 31 बी, आईएमटी, रोहतक, हरियाणा–124001
5. नोमिनी जरीये फर्म
   मैसर्स एनरिक एग्रो फूड प्रोडक्टस प्रा.लि. प्लॉट 1 ए, सेक्टर 31 बी, आईएमटी, रोहतक, हरियाणा–124001

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

उपस्थितः– 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।
2. नीलेश पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडन्ट संख्या 1 से 3
3. आशीष टांक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए

/नोटिफिकेशन/ 2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री श्रीराम मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षीगण पर मिस ब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी 1. श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स आशापुरा कोल्ड ड्रिंक्स एजेन्सी गांव धोइन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द 2.श्री रमेश सिंह रावत (नोमिनी) मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेरेज प्रा.लि. 1552/1 चिकलवास, बडगांव, उदयपुर–313011 3. नोमिनी जरिये फर्म मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजज प्रा.लि. 1552/1 चिकलवास, बडगांव, उदयपुर–313011 4. श्री विजयकुमार शर्मा (नोमिनी) मैसर्स एनरिक एग्रो फूड प्रोडक्टस प्रा.लि. प्लॉट 1 ए, सेक्टर 31 बी, आईएमटी, रोहतक, हरियाणा–124001 5. नोमिनी जरीये फर्म मैसर्स एनरिक एग्रो फूड प्रोडक्टस प्रा.लि. प्लॉट 1 ए, सेक्टर 31 बी, आईएमटी, रोहतक, हरियाणा–124001 जो की Carbonate water(Sweetend Carbonated Beverage)Thums UP) बेचने का कार्य करता है । विपक्षी संख्या एक की दूकान मैसर्स आशापुरा कोल्ड ड्रिंक्स एजेन्सी गांव धोइन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द पर दिनांक 24.05.2016 को समय 06.00 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया । वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर एक प्लास्टिक के मोबाइल पैकिंग में 24 सील्ड प्लास्टिक की बॉटल्स प्रत्येक 750 एमएल कुल 15 प्लास्टिक मोबाईल पैकिंग में आम जनता को विक्री हेतु रखी हुई थी। इसमें मिलावट का शक होने पर एक प्लास्टिक मोबाइल पैकिंग को खोलकर उक्त (Carbonate water(Sweetend Carbonated Beverage) Thums UP) की 16 सील्ड प्लास्टिक बॉटल्स प्रत्येक 750 एमएल वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 560/– रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ (Carbonate water(Sweetend Carbonated Beverage)Thums UP) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा (Carbonate water(Sweetend Carbonated Beverage)Thums UP) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल (प्रत्येक लेबल में चार सील्ड बॉटल्स) तैयार कर चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अलग–2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें । सील कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई – 559 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक परि./एफएसएसए/2016/2657 दिनांक 13.08.2016 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस / 329/एक्ट/2016/364 दिनांक 22.06.2016 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना (Carbonate water(Sweetend Carbonated Beverage)Thums UP) मिस ब्राण्ड होना पाया गया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी,राजसमन्द ने दिनांक 28.12.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क 4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई । जिसका संक्षिप्त सार निम्नानुसार है:–

यह कानूनी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अभी तक इस प्रकरण का फैसला प्रकाशित नहीं हुआ है इसलिए भारत के राजपत्र में दिनांक 11.09.2017 को प्रकाशित उक्त संशोधन से आक्षेपित उल्लंघनता का विनियम 2.10.6(1)(1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में शर्करा की मात्रा लेबल पर घोषणा स्वरूप अंकित करने का प्रावधान विलोपित कर दिये जाने के कारण अब आक्षेपित उल्लंधना की न्याय निर्णयन कार्यवाही सारहीन हो गई है तथा एफ.एस.एस.ए.आई. की एडवाइजरी दिनांकित 08.12.2017 में वर्णित दिशा निर्देशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित उक्त प्रकरण में पारित न्याय सिद्धान्तानुसार उक्त संशोधन का लाभ आरोपी को न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के तहत वर्तमान में भी देय है, क्योंकि

उक्त न्याय सिद्धान्त इस प्रकरण पर भी भली भांति चस्पा होते हैं, इसलिए न्याय निर्णयन कार्यवाही निरस्त किया जाना विधि सम्मत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की लिखित बहस पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08.12.2017 को जारी एडवाइजरी आदेश में कानूनी संशोधन किया गया है। कानूनी संशोधन दिनांक 08.12.2017 को किया गया हैं । जबकि इस न्यायालय में दायर प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्व सेम्पल प्रकिया दिनांक 24.05.2016 को की गई है। प्रकरण में चूंकि विपक्षी की (Carbonate water(Sweetend Carbonated Beverage)Thums UP) मिस ब्राण्ड होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006, नियम–2011 की धारा 26 (II) के अन्तर्गत उक्त केस में मिस ब्राण्ड (Carbonate water(Sweetend Carbonated Beverage)Thums UP) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी श्री विजय कुमार शर्मा, मैसर्स एनरिक एग्रो फूड प्रोडक्टस प्रा.लि. प्लॉट 1 ए, सेक्टर 31 बी, आईएमटी, रोहतक, हरियाणा–124001 को कुल 10,000/– रूपये (अक्षरे रूपया दस हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी,एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द